62

न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2897/विधि   सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा नीलाम पत्र अपीलवाद सं0-71/2022 में दिनांक-27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय नीलाम पत्र वाद सं0-02/2013-14 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-11 अन्य कागजात-123 कुल-134 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- मेसर्स जय माँ तारा फ्लोर एण्ड राईस मिल, रिक्शाडीह, जगदीशपुर, भागलपुर द्वारा प्रो0विनय कुमार राय, पिता-स्व0 देवी राय, सा0-रिक्शाडीह, पो0-खिरीबाँध, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..........से..........तक

जिला.........., सं0.........., सन् १९..........

केस का प्रकार..........

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/09/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **नीलाम पत्र अपील वाद संख्याः-71/2022** **मेसर्स जय माँ तारा फ्लोर एण्ड राईस मील..........अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य............................ रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत नीलाम-पत्र अपीलवाद मेसर्स जय माँ तारा फ्लोर एण्ड राईस मील, रिक्शाडीह, जगदीशपुर, भागलपुर द्वारा प्रोपराईटर विनय कुमार राय, पिता-स्व0 देवी राय, सा0-रिक्शाडीह, पो0-खिरीबांध, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर के द्वारा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा-60 के तहत न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के नीलाम पत्र वाद सं0-02/2013-14 में दिनांक-02.12.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। वाद की सुनवाई के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञापांक 2244/विधि दिनांक 12.08.2023 से अपीलार्थी को बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 60 में वर्णित नियम के तहत खाद्य निगम द्वारा निर्धारित 40% की राशि संबंधित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया, ताकि नियमानुसार अपीलवाद की सुनवाई की जा सके। अपीलार्थी निदेशानुसार उक्त निर्धारित राशि जमा करने से संबंधित चालान/साक्ष्य समर्पित करने में असफल रहे। उक्त के आलोक में इस अपीलवाद को पोषणीय नहीं पाते हुए नामांकन के स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ	

	वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका कार्यालय को वापस करें। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।		